"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2017—वैशाख 8, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक सोनी आत्मज श्री गणेश प्रसाद, उम्र 44 वर्ष, निवासी-91 डी, एच. एस. सी. एल. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे वैयक्तिक दस्तावेजों व मेरे बच्चों के शालेय दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक कुमार सोनी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम अशोक सोनी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अशोक सोनी आत्मज श्री गणेश प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अशोक कुमार सोनी
आत्मज-गणेश प्रसाद
निवासी-91 डी, एच. एस. सी. एल. कालोनी,
रूआबांधा सेक्टर भिलाई
जिला -दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अशोक सोनी
आत्मज-गणेश प्रसाद
निवासी-91 डी, एच. एस. सी. एल. कालोनी,
रूआबांधा सेक्टर भिलाई
जिला -दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनिता देवांगन पति श्री डगर सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी-जामगांव एम, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला के प्रमाण पत्र में मेरा नाम उषा देवांगन आत्मजा श्री डी. पी. देवांगन दर्ज है. मेरा विवाह जामगांव एम, पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) निवासी श्री डगर सिंह आत्मज श्री केजू राम देवांगन के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अनिता देवांगन रख ली हूं तथा यही नाम मेरे परिचय पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अनिता देवांगन पति श्री डगर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
उषा देवांगन आत्मजा-श्री डी. पी. देवांगन	श्रीमती अनिता देवांगन पति-श्री डगर सिंह देवांगन निवासी-जामगांव एम, तहसील पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मण साहू आ. श्री मकसूधन साहू, आयु 34 वर्ष, निवासी - म. नं. 1675, शक्ति नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक नाम लक्ष्मण साहू पिता श्री मकसूधन साहू है जो कि सही व सत्य है किन्तु मेरे परिजनों ने मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा घरेलू नाम लेकेश्वर कुमार पिता मकसूदन साहू लिखवा दिया था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम लक्ष्मण साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लक्ष्मण साहू आ. श्री मकसूधन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
लेकेश्वर कुमार पिता-श्री मकसूदन साहू निवासी-म. नं. 1675, शक्ति नगर, दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)	लक्ष्मण साहू पिता-श्री मकसूधन साहू निवासी-म. नं. 1675, शक्ति नगर, दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुनेश्वरी साहू ध. प. अरूण कुमार साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी-14-डी, सड़क-एनपीए, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शासकीय प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मुनेश्वरी दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम मुनेश्वरी साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे मुनेश्वरी साहू ध. प. अरूण कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मुनेश्वरी ध. प.-श्री अरूण कुमार साहू निवासी-म. नं.-14-डी., सड़क-एनपीए, सेक्टर-5, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मुनेश्वरी साहू ध. प.-श्री अरूण कुमार साहू निवासी-म. नं.-14-डी. सड़क-एनपीए, सेक्टर-5, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरूण कुमार साहू आत्मज- श्री चैतराम साहू, उम्र 54 वर्ष, निवासी-14-डी, सड़क-एनपीए, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अरूण कुमार दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम अरूण कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अरूण कुमार साहू आत्मज श्री चैतराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अरूण कुमार आत्मज-श्री चैतराम साहू निवासी-म. नं.-14-डी., सड़क-एनपीए, सेक्टर-5, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अरूण कुमार साहू आत्मज-श्री चैतराम साहू निवासी-म. नं.-14-डी., सड़क-एनपीए, सेक्टर-5, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवशंकर कुँवर आत्मज नागेश्वर कुँवर, उम्र 64 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 4/ए, सड़क 15, सेक्टर–7, भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम शिवशंकर कुँवर आ. नागेश्वर कुँवर है परन्तु मेरे एच. एस. सी. एल. कम्पनी के नियोक्ता सेवा अभिलेख/दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज, बैंक दस्तावेज में मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद लिखा गया है तथा मेरे शालेय दस्तावेज, आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेज में मेरा नाम शिवशंकर कुँवर लिखा गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शिवशंकर कुँवर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शिवशंकर कुँवर आत्मज नागेश्वर कुँवर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शिवशंकर प्रसाद आत्मज–नागेश्वर कुँवर निवासी– क्वा. नं. 4/ए, सड़क 15 सेक्टर–7, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.)	शिवशंकर कुँवर आत्मज–नागेश्वर कुँवर निवासी– क्वा. नं. 4/ए, सड़क 15 सेक्टर–7, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती केकती साहू पति स्वर्गीय कलीराम साहू, आयु 52 वर्ष, जाति तेली, निवासी–ग्राम तेलीगुण्ड्रा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री का नाम कु. खिलेश्वरी साहू पिता स्वर्गीय कलीराम साहू है तथा उसकी जन्मतिथि 26–06–1999 की है. मेरी पुत्री के समस्त शालेय दस्तावेज एवं आधार कार्ड में उसका नाम कु. खिलेश्वरी साहू दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम कुमारी सनाया साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को कुमारी सनाया साहू पिता स्वर्गीय कलीराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खिलेश्वरी साहू पिता–स्वर्गीय कलीराम साहू निवासी– ग्राम+पोस्ट तेलीगुण्ड्रा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)	सनाया साहू पिता–स्वर्गीय कलीराम साहू निवासी– ग्राम+पोस्ट तेलीगुण्ड्रा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/192 /उपंरा/परि./2017.—चिदानंद बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/407 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये चिदानंद बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/407 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव व जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/193 /उपंरा/परि./2017.—जय माँ छुरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोहला पं. क्र. AR/RJN/426 वि. ख. मोहला जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये हैं. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माँ छुरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोहला पं. क्र. AR/RJN/426 वि. ख. मोहला जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री शम्भू सिंह पन्द्रे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड मोहला जिला राजांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/194 /उपंरा/परि./2017.— बूढ़ादेव आदिवासी बेस मेटल सहकारी समिति मर्या. मानपुर पं. क्र. AR/RJN/414 वि. ख. मानपुर जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उंपरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये बूढ़ादेव आदिवासी बेस मेटल सहकारी समिति मर्या. मानपुर पं. क्र. AR/RJN/414 वि. ख. मानपुर जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री दिनेश कुमार बांधे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड मानपुर जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/195 /उपंरा/परि./2017.— माँ बम्लेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्या. गोर्राटोला पं. क्र. DR/RJN/501 वि. ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उंपरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ बम्लेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्या. गोर्राटोला पं. क्र. DR/RJN/501 वि. ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री डी. सी. देवांगन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड अं. चौकी जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/196 /उपंरा/परि./2017.— इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पटपर पं. क्र. AR/RJN/418 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उंपरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पटपर पं. क्र. AR/RJN/418 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री देवेन्द्र मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/197/उपंरा/परि./2017.— माँ दुर्गा महिला बहुउद्देशी सहकारी समिति मर्या. भरवाटोला पं. क्र. AR/RJN/417 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. भरवाटोला पं. क्र. AR/RJN/417 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री देवेन्द्र मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/198/उपरा/परि./2017.— किशन कन्हैया पशुपालन सहकारी समिति मर्या. डोंगरगढ़ पं. क्र. AR/RJN/421 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उंपरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये किशन कन्हैया पशुपालन सहकारी समिति मर्या. डोंगरगढ़ पं. क्र. AR/RJN/421 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री देवेन्द्र मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/204 /उपरा/परि./2017.— माँ शीतला पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या. मालडबरी पं. क्र. AR/RJN/409 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये हैं. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये माॅ शीतला पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या. मालडबरी पं. क्र. AR/RJN/409 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तसीगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव व जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/205 /उपंरा/परि./2017.—महामाया प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या. राजनांदगांव पं क्र. DR/RJN/528 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार “डी” वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये हैं. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये महामाया प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या. राजनांदगांव पं क्र. DR/RJN/528 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्रमांक/215/उपंरा/परि./2017.— हरिओम कामगार सहकारी समिति मर्या. पिपरिया पं. क्र. DR/RJN/460 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार “डी” वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिओम कामगार सहकारी समिति मर्या. पिपरिया पं. क्र. DR/RJN/460 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत कु. अनिता नंदे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 01-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्रमांक/216/उपरा/परि./2017.— खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. साल्हेभर्री पं. क्र. AR/RJN/340 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उंपरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. साल्हेभर्री पं. क्र. AR/RJN/340 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत कु. अनिता नंदे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 01-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 15 मार्च 2017

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/439/उपरा/परि./2017.— सहकारी विपणन समिति मर्या. छुईखदान पं. क्र. 474 वि. ख. छुईखदान जिला राजनांदगांव के कार्यलयीन आदेश क्रमांक/215/उपरा/विधि/परि./2013 राजनांदगांव दिनांक 26-02-2013 से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी छुईखदान को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग में आदेश क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 नया रायपुर दिनांक 04 -05-2012 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियॉं जो मुझे वैष्ठित है, का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक .

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्रमांक/उपं. दु./परिसमापन/2017/540.— छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत बी. टी. आई साख सहकारी समिति मर्या. भिलाई पं. क्र. 1907, विकासखंड दुर्ग, जिला दुर्ग के तीन चौथायी सदस्यों द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर मांग किया गया है कि संस्था विगत 10 वर्षो से सहकारिता अधिनियम के अनुरूप अंकेक्षण एवं निर्वाचन कार्य सम्पन्न नहीं करा पा रही है तथा संस्था की आम सभा दिनांक 18-01-2017 में लिए गये निर्णय अनुसार संस्था को आगे चलाने में असमर्थता व्यक्त किये है और संस्था को परिसमापन में लाने का निर्णय लिया गया है.

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएॅं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत बी. टी. आई साख सहकारी समिति मर्या. भिलाई पं. क्र. 1907, विकासखंड दुर्ग, जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाता हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एच. आर. चन्द्राकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक .

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक/परिसमापन/पुर्नजीवित/2017/1058.— शिवनाथ महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. दगौरी पं. क्र. 3827 दिनांक 28-12-1996 को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक कु. पुजा बोथरा, सहकारी निरीक्षक, द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें समिति को 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब प्राप्त हुआ है. तत्संबंध में समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिनांक 26-11-2016 को की गई है, जिसमें संस्था को पुर्नजीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है. अत: सदस्यों के हित में परिसमापक कु. पुजा बोथरा, सहकारी निरीक्षक, के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् शिवनाथ महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. दगौरी पं. क्र. 3827 दिनांक 28-12-1996 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.